

94

Kind Attention to Sh. Puroshottam Sharma DCUJDA

JDC
2563035

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

म (11) 8491
2-12-09
जयपुर, दिनांक :- 6/8/09

क्रमांक प 0 3(208)नविवि/3/95पार्ट

जिला कलेक्टर,
समस्त.....।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, बीकानेर,
भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान जयपुर।

TDRCS/
✓
21/9/09

विषय:- राज्य के स्वामित्व वाले पावर टर्मिनस व विद्युत वितरण कम्पनियों
को भूमि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 03.01.2002 में
संशोधन करते हुए निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के स्वामित्व वाले पावर टर्मिनस
व विद्युत वितरण कम्पनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर
की 50 प्रतिशत दर पर आवंटित की जावे।

भवदीय,

(एस.ए. फारूकी)

शासन उप सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि: प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग को उनके आशा. पत्रांक डी-806
दिनांक 20.02.08 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

क. रजिस्ट्रार। अ. ऊ. ऊ. / डे. 207 दिनांक. 8/9/09

शासन उप सचिव-द्वितीय

निम्नांकित को प्रतिलिपि आवश्यक कार्यकारी तथा सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर / डा वि वि नि, अजमेर / जे वि वि नि, जोधपुर
2. से. मुख्य अभियंता (रेगुलरी) राजस्थान जयपुर / जोधपुर / अजमेर
3. सहायक अभि. -

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: व-382008/नीधिवि/3/95

जयपुर, दिनांक 31/1/2002

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर ।

जिला दफ्तर
जिला

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राज. जयपुर ।

सचिव,
नगर विकास न्यास,

विषय :- राजस्थान राज्य विद्युत निगम को भूमि आवंटन बाबत ।

महोदय,

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समतुल्यक आदेशा दिनांक 17-8-95 के आदेशाक संशोधन में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य विद्युत निगम को ग्रेड स्टेशन के लिये भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरंभिक दर पर आवंटन किया जाए ।

भवदीय,

31/02

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: सचिव, उर्जा विभाग, राजाजयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

31/02

शासन उप सचिव

See
AC(L)

5/1

5/1

30/01/02
04-1-02

5/1/02
5/1/2002

AC(L) R 11/4
8-1-02